न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 85 / 2018

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 राजेन्द्र सिंह पुत्र हनुमान।
2 ग्यारसी देवी पत्नी राजेन्द्र।
3 अजय पुत्र राजेन्द्र।
4 अमित पुत्र राजेन्द्र समस्त जाति कुमावत निवासीगण वार्ड नम्बर 24 नेता की ढ़ाणी रोड़ नम्बर 3 झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 कृष्णा कुमावत पुत्री राजेन्द्र सिंह।
2 दयानन्द पुत्र हनुमान।
3 नीलम पुत्र राजेन्द्र।
4 कविता पुत्री राजेन्द्र समस्त जाति कुमावत निवासीगण वार्ड नम्बर 24 नेता की ढ़ाणी रोड नम्बर 3 झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

अपील अ. धारा 225 आर.टी.एक्ट अपील
विरूद्व एकपक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा
आदेश दिनांक 21.06.2017 अदालत उपखण्ड
अधिकारी झुंझुनू प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
उनवानी कृष्णा कुमावत बनाम राजेन्द्र सिंह
मु. न. 26 / 17 आगामी तारीख पेशी 09.10.18

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित

1. श्री प्यारेलाल सिलाइज अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री जितेन्द्र अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 30.11.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 26/2017 में पारित एक पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 21.06.2017 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया जिसमें विचारण न्यायालय ने आवेदक को सुनकर विचाराधीन आदेश से एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा (अन्तरिम) दिनांक 21.06.2017 को पारित कर दी। इसके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में समस्त सहखातेदारों को पक्षकार बनाये बिना आदेश पारित किया गया है यह आदेश एकतरफा पारित किया गया है। आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी की पालना नही की जा रही है अपील स्वीकार कर विचाराधीन आदेश अपास्त किया जायें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अन्तरिम आदेश की अपील है विचारण न्यायालय में अपीलांट 17.07.2017 को हाजिर हुये है 20.10.2017 को जवाब पेश किया है। 06.08.2018 को अपील पेश की है

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

दफा 5 का आवेदन पेश नही किया है अपील चलने योग्य नही है खारिज की जायें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से एवं बहस उभयपक्ष से स्पष्ट है कि विचाराधीन आदेश अन्तरिम रूप से एकतरफा पारित किया गया है। विचारण न्यायालय को सीपीसी के अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1,2 व 3 की पालना में प्रकरण का निस्तारण 30 दिवस में करना चाहिए था चूकि अपीलांट विचारण न्यायालय में उपस्थित हो चुका है जवाब पेश कर चुका है अत ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विचारण न्यायालय तलबी से शेष अप्रार्थीगण के रजिस्टर्डड नोटिस जारी करे एवं उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण को अन्तिम रूप से यह आदेश प्राप्त होने के 60 दिवस में निस्तारित करना सुनिश्चित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.12.2018 को अपनी उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

30/xi/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर